



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-377 राँची, गुरुवार,

29 जुलाई, 2021 (ई०)

#### परिवहन विभाग

-----

अधिसूचना

28 जुलाई, 2021

संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-778--श्री फिलबियुस बारला (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री बारला को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-779--श्री शैलेन्द्र कुमार रजक (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका (अ.प्र.-गोड्डा) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर (अ.प्र.-गोड्डा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री रजक को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

**संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-780--** श्री अजय कुमार तिर्की (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, प.सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री तिर्की को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

**संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-781--**श्री संतोष सिंह (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा के प्रभार में रहेंगे।

श्री सिंह को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

**संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-782--**श्री कृष्ण कन्हैया राजहंस (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा (अ.प्र.-खूँटी) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, प.सिंहभूम, चाईबासा (अ.प्र.-खूँटी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री राजहंस को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

**संख्या-परि.वि.-3(स्था.)-10/2013(खण्ड)-783--**श्री सौरभ प्रसाद (झा.प्र.से), जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लोहरदगा के प्रभार में रहेंगे।

श्री प्रसाद को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**हरेन्द्र कुमार पाण्डेय,**

उप सचिव,

परिवहन विभाग।

-----